# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या 032/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/119) | दायर दिनांक 08-05-2025 | निर्णय दिनांक 10-06-2025 |
| --- | --- | --- |

**अनवान**

जगदीश प्रसाद पिता दौलतदास वैष्णव निवासी भैंसरोडगढ, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 7296959900)

**अपीलार्थी**

**बनाम**

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

**प्रत्यर्थीगण**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**–:: निर्णय ::–**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन–पत्र दिनांक 17.03.2025 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./032/2025(सू.अ.)(04.06.2025)348 दिनांक 08.05.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 10.06.2025 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/105 दिनांक 10.06.2025 से बिन्दुवार टिप्पणी/

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा से किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कर्मेट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद पिता दौलतदास वैष्णव निवासी भैंसरोडगढ, तहसील रावतभाटा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/75 दिनांक 28.03.2025 से अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र वांछित सचूना के संबंध में प्रार्थी को भी अवगत करवा दिया गया है। अतः इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योग्य है।
4. यह कि प्रार्थी को उक्त सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई हैं, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ द्वारा प्रेषित कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2025 के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा का अधिनियम 2005 में प्रावधित विहित समयावधि में अंतरित किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 17.03.2025 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों में अवगत कराया गया हैं कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2025 से वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है एवं प्रकरण में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा द्वारा किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से यह प्रमाणित होता हैं कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रार्थी/अपीलार्थी ने नियमानुसार आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2025 मय आवेदन शुल्क के प्रस्तुत किया गया हैं, जिसे लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/75 दिनांक 28.03.2025 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा को अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित कर प्रार्थी/आवेदक को नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 17.03.2025 का नियमानुसार निस्तारण कराया जाना प्रमाणित कराया गया हैं, किन्तु यह न्यायालय

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ का भी प्रथम अपीलीय न्यायालय है एवं प्रकरण में सहायक लोक सचूना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा से किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन बिन्दुवार टिप्पणी अप्राप्त है जिससे अपील अपीलार्थी का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता हैं कि अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/75 दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्रेषित प्रार्थी/आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2025 का नियमानुसार निर्धारित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समायावधि में निस्तारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन–पत्र जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन–पत्र दिनांक 17.03.2025 के संबंध में निस्तारण की विहित समयावधि में नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र जो कि प्रस्तुत किये जाने की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 17.03.2025 में वर्णित बिन्दुओं से वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया है, एवं उपर्युक्त विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समायावधि में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी तहसीलदार रावतभाटा के विरुद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 17.03.2025 जो कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया गया जिसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/75 दिनांक 28.03.2025 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा को प्रेषित किया गया है, बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2025 से वांछित सूचना 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.06.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official